छत्तीसगढ़ भू–संपदा विनियामक प्राधिकरण रायपुर

आदेश पत्रिका

क्रमांक – 19 प्रकरण क्रमांक –**SM-EXP-2024-02154**

आवेदक : छत्तीसगढ़ रेरा विरूद्ध ''मेसर्स के.बी.एम. डेव्हलपर्स'', प्रमोटर–के.बी.एम. डेव्हलपर्स, द्वारा–श्री राजेन्द्र जैन, पता–15, शॉपिंग कॉम्पलेक्स, नगर निगम प्रशासनिक, भवन, पुराना बस स्टैण्ड, जिला–दुर्ग (छ.ग.)

प्रोजेक्ट–''मेसर्स के.बी.एम डेव्हलपर्स'' पुलगाँव, जिला–दुर्ग (छ.ग.)

आदेश कार्यवाही की तारीख व स्थान	आदेश अथवा कार्यवाही	पक्षकार अथवा प्रतिनिधि के हस्ताक्षर
21/02/2024	– प्रकरण प्रस्तुत। – भू–संपदा (विनियमन एवं विकास) अधिनियम, 2016 धारा–5, अंतर्गत अनावेदक का प्रोजेक्ट ''मेसर्स के.बी.एम. डेव्हलपर्स'' पंजीयन क्रमांक–**PCGRERA070820001130** के रूप में छत्तीसगढ़ रेरा में दिनाँक 07.08. 2020 से पंजीकृत कराया गया है। उक्त प्रोजेक्ट की रेरा पंजीयन की वैधता दिनाँक 30.11.2022 को समाप्त हो चुकी है। प्रमोटर द्वारा उक्त प्रोजेक्ट का पूर्णता प्रमाण पत्र प्रस्तुत नहीं किया गया है। अतः भू–संपदा (विनियमन और विकास) अधिनियम, 2016 की धारा–3 अनुसार प्रोजेक्ट अवैध प्रोजेक्ट की श्रेणी में आ चुका है। उक्त कृत्य भू–संपदा (विनियमन और विकास) अधिनियम, 2016 की धारा–3 के उपबंधों का उल्लंघन है, जिसके लिये अधिनियम की धारा–59 के अधीन प्रोजेक्ट लागत का 10 प्रतिशत तक शास्ति अधिरोपित किये जाने का प्रावधान है। रजिस्ट्रार, छ..ग द्वारा प्रतिवेदन दिनाँक 23.11.2023 के अनुसार यह पाया गया है कि संबंधित प्रमोटर द्वारा अधिनियम के उक्त प्रावधानों का अवहेलना व उल्लंघन करते हुये उक्त प्रोजेक्ट की वैधता समाप्त होने के बावजूद प्रोजेक्ट का पूर्णता प्रमाण पत्र नियमानुसार प्रस्तुत नहीं किया गया है। अतः प्राधिकरण द्वारा अनावेदक के विरूद्ध दिनाँक 12.01.2024 को प्रकरण पंजीबद्ध किया गया। – अनावेदक द्वारा अपने विधिक प्रतिनिधि के माध्यम से आवेदन मय दस्तावेज प्रस्तुत किया गया है। – प्राधिकरण द्वारा प्रश्नाधीन प्रोजेक्ट से संबंधित समस्त दस्तावेजों का अवलोकन व अध्ययन किया गया। अनावेदक द्वारा प्राधिकरण के वेबपोर्टल पर अपलोड की गई जानकारी अनुसार सितम्बर, 2021 तक प्रश्नाधीन प्रोजेक्ट के विकास कार्य की पूर्णता की स्थिति 82 प्रतिशत है। प्रश्नाधीन प्रोजेक्ट की वैधता दिनाँक 30.11.2022 को समाप्त हो	

छत्तीसगढ़ भू–संपदा विनियामक प्राधिकरण रायपुर

आदेश पत्रिका

क्रमांक – 19 प्रकरण क्रमांक –**SM-EXP-2024-02154**

आवेदक : छत्तीसगढ़ रेरा विरूद्ध ''मेसर्स के.बी.एम. डेव्हलपर्स'', प्रमोटर–के.बी.एम. डेव्हलपर्स, द्वारा–श्री राजेन्द्र जैन, पता–15, शॉपिंग कॉम्पलेक्स, नगर निगम प्रशासनिक, भवन, पुराना बस स्टैण्ड, जिला–दुर्ग (छ.ग.)

प्रोजेक्ट–''मेसर्स के.बी.एम डेव्हलपर्स'' पुलगाँव, जिला–दुर्ग (छ.ग.)

आदेश कार्यवाही की तारीख व स्थान	आदेश अथवा कार्यवाही	पक्षकार अथवा प्रतिनिधि के हस्ताक्षर
	गयी है। अनावेदक द्वारा प्रोजेक्ट के नियमितीकरण हेतु दिनाँक 29.01.2024 को प्राधिकरण के समक्ष आवेदन मय दस्तोवज प्रस्तुत किया गया है। साथ ही प्रोजेक्ट का कार्य पूर्णता प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया गया है। अतः प्रकरण में कार्यवाही शेष नहीं होने के कारण प्रकरण समाप्त किया जाता है। – आदेश की प्रति प्राधिकरण के वेबपोर्टल पर अपलोड की जावे। – प्रकरण नस्तीबद्ध कर अभिलेख कोष्ठ में दाखिल किया जावे। सही/– (धनंजय देवांगन) सदस्य सही/– (संजय शुक्ला) अध्यक्ष	